

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, जूनामीठा खेड़ा

प्रकरण सं.:-107/2018


क्रमांक:-लो.अदा./2018/955

दिनांक:-01.06.2018

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र व पटवारी जूनामीठा खेड़ा एवं भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भावगिरीजी का मीठा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 में खाता संख्या 50 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भावगिरीजी का मीठा	50	454	लाला पुत्र पुरखा	लालसिंह पुत्र पुरखसिंह <u>शेष बदुस्तर</u>



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:-लो.अदा./2018/956-958

दिनांक:-01.06.2018

प्रतिलिपि:-

- 1.तहसीलदार. सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
- 2.प्रार्थी श्री लालसिंह पुत्र पुरखसिंह जाति पुरोहित निवासी भावगिरीजी का मीठा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
- 3.रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन